



राष्ट्र के हित में शिक्षा

• शिक्षा के हित में शिक्षक

• शिक्षक के हित में समाज

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

साधारण सभा बैठक 3-4 अक्टूबर, हैदराबाद, तैलंगाना

प्रस्ताव - 1

एआई के युग में डिजिटल समाज और मानवीय मूल्य

एबीआरएसएम साधारण सभा यह मानती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI) 21वीं सदी की सबसे परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक के रूप में उभरी है। इसके अनुप्रयोग अब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन, उद्योग, संचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुके हैं, जिससे यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, दक्षता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता ने इसे राष्ट्रीय विकास और वैश्विक सहभागिता का एक अनिवार्य साधन बना दिया है।

एबीआरएसएम की साधारण सभा सचेत करती है कि एआई का तीव्र विस्तार रोजगार का विस्थापन, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथमिक पक्षपात जैसी नैतिक चिंताएँ, डीपफेक तथा बढ़ती डिजिटल निगरानी, असमानताओं को बढ़ाने और सामाजिक विश्वास को कमजोर करने का खतरा पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त, एआई की क्षमताओं का कुछ बड़ी कंपनियों और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में संकेंद्रण असमानताओं को और गहरा कर सकता है। ये चिंताएँ मानवता को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि एआई एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित होने की दिशा में है जो व्यवहार, निर्णय-निर्माण और यहाँ तक कि नैतिक मानदंडों को भी प्रभावित कर सकता है।

एबीआरएसएम का मानना है कि भारत, विश्व के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं वाले देशों में से एक होने के कारण, एआई युग की चुनौतियों का सामना, अपेक्षाकृत शीघ्र और अधिक तीव्रता से करने की स्थिति में है। जहाँ तीव्र डिजिटलीकरण ने व्यक्तिगत जीवन को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है, वहीं इसने व्यक्तिगत असुरक्षा को भी बढ़ाया है। ऐसे वातावरण में गोपनीयता और निजता सबसे पहले प्रभावित होने वाले पक्ष बन सकते हैं। इस विषय पर तत्काल ध्यान देने तथा बौद्धिक, नैतिक और नीतिगत संवाद के माध्यम से व्यापक सहमति विकसित करने की आवश्यकता है।

इसी समय, विश्व की दृष्टि नए विश्वास के साथ भारत की ओर देखने लगी है, क्योंकि अनेक वैश्विक पक्षों ने इसके मार्गदर्शक दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में विश्वास व्यक्त किया है। व्यापक डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत योगदान दे सकता है—यह विश्वास उसकी उस चिरस्थायी सभ्यतागत शक्ति पर आधारित है, जो हजारों वर्षों से जीवित और समृद्ध रही है। इस दृढ़ता का आधार उसका वैश्विक दृष्टिकोण है जो समाज को एक जीवंत और जैविक इकाई के रूप में देखता है।

एबीआरएसएम का दृढ़ मत है कि एकात्म मानव दर्शन, जिसने भारत की सभ्यतागत यात्रा का मार्गदर्शन किया है, आज भी उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे-जैसे एआई-आधारित विश्व अधिक यांत्रिक और दक्षता-केंद्रित होता जा रहा है, एकात्म मानव दर्शन हमारा ध्यान एक केंद्रीय प्रश्न की ओर वापस लाता है—तकनीकी प्रगति मानव कल्याण की किस प्रकार सेवा कर सकती है? भौतिक और आध्यात्मिक, व्यष्टि और समष्टि तथा प्रगति और सततता के बीच सामंजस्य पर इसका जोर वर्तमान युग की नैतिक और सामाजिक दुविधाओं के परीक्षण के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत करता है। अनेक लोगों का मानना है कि एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवता जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनके लिए यह समग्र दर्शन सार्थक उत्तर प्रदान करने की स्थिति में है।

एबीआरएसएम का मत है कि एआई का मूल्यांकन केवल दक्षता के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय एक प्रकार का निर्णय-विवेक है और निर्णय-विवेक कभी भी मूल्यों से पूर्णतः मुक्त नहीं होता। जहाँ भी एआई का प्रयोग हो,

वहाँ पाँच मूल्यों का मार्गदर्शन आवश्यक है : मानवीय गरिमा, निजता और स्वायत्तता, सत्य और विश्वास, निष्पक्षता और समावेशन तथा जवाबदेही।

एबीआरएसएम की साधारण सभा समाज के प्रत्येक वर्ग से ईमानदार और निरंतर संवाद में सहभागी होने का आह्वान करती है, ताकि भारत में एआई का विकास मानवीय गरिमा और सामाजिक कल्याण के अनुरूप बना रहे। यह जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे निकटतम स्तर-घर, अध्ययन अध्यापन हेतु कक्षा और परिवार-से शुरू होती है। गुरु-परंपरा के अनुरूप शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे चरित्र-निर्माण के मार्गदर्शक बने रहें तथा एआई का विवेकपूर्ण उपयोग करें, लेकिन अपना निर्णय-विवेक एआई को न सौंपें। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचें, त्वरित या अनुचित उपायों के बजाय ईमानदारी को प्राथमिकता दें और केवल एआई के उपभोक्ता न बनकर एआई के रचनाकार बनें। परिवारों, सरकार, उद्योग और मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के डिजिटल जीवन का मार्गदर्शन करें, ग्रामीण और गरीब समुदायों तक डिजिटल अवसर पहुँचाएँ, गोपनीयता-आधारित डिजाइन को अपनाएँ और सत्य की रक्षा करें।

एबीआरएसएम की साधारण सभा इस बात पर जोर देती है कि एआई को मानवीय निर्णय-विवेक का स्थान लेने के बजाय उसे सूचित करने वाले एक साधन के रूप में ही रहना चाहिए। एआई युग के लिए एक आदर्श नैतिक ढाँचे के रूप में एकात्म मानववाद की पुष्टि करते हुए, साधारण सभा शिक्षकों, विद्यार्थियों और परिवारों के बीच एआई के जोखिमों तथा उसके नैतिक उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करने का संकल्प लेती है।

इसके अतिरिक्त, एबीआरएसएम नीति-निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और नागरिक समाज से आह्वान करता है कि वे एआई से संबंधित सभी निर्णयों के केंद्र में मानवीय गरिमा, निजता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बनाए रखें क्योंकि इस जिम्मेदारी का निर्वहन कोई एक समूह अकेले नहीं कर सकता, इसलिए सभी को आगे की राह पर सावधानी और सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। एबीआरएसएम पुनः यह स्पष्ट करता है कि भारत को उत्तर के लिए कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ विश्व यह पूछ रहा है कि एआई को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, वहीं भारत यह पूछता है कि इसे और अधिक मानवीय कैसे बनाया जाए।



सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार

एबीआरएसएम (ABRSM) की साधारण सभा का दृढ़ मत है कि एक विश्वसनीय और सुदृढ़ सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। एक विश्वसनीय सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था में योग्यता, निष्पक्षता और जनविश्वास बनाए रखने के लिए मूलभूत है। इसका उद्देश्य केवल प्रश्नपत्र लीक होने या कदाचार को रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित करना होना चाहिए जो सुरक्षित, वैध, विश्वसनीय, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और शिक्षा एवं रोजगार की बदलती अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो।

एबीआरएसएम साधारण सभा, अपनी बैठक में, यह मत व्यक्त करती है कि सार्वजनिक परीक्षा सुधार की शुरुआत परीक्षा-सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक व्यापक मूल्यांकन सुसंगतता दृष्टिकोण अपनाने से होनी चाहिए। प्रश्नपत्र लीक, प्रतिरूपण, नकल और अनधिकृत पहुँच को रोकना अनिवार्य है; तथापि, केवल सुरक्षा से किसी मूल्यांकन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। प्रत्येक प्रमुख सार्वजनिक परीक्षा में समय-समय पर उसके उद्देश्य, अधिगम परिणामों, मूल्यांकन पद्धति, वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और प्रयोजन-उपयुक्तता की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक परीक्षा वही मापती है जिसे मापने का वह दावा करती है और उसके परिणाम उच्च-स्तरीय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त रूप से वैध और विश्वसनीय हों।

एबीआरएसएम की साधारण सभा संकल्प करती है कि भारत को एक ही दिन आयोजित होने वाली एक बड़ी परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना चाहिए तथा विद्यालय, बोर्ड, प्रवेश परीक्षा और उच्च शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस व्यवस्था में रटने की अपेक्षा समझ, तर्क, समस्या-समाधान, अनुप्रयोग और दक्षता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। NCERT, PARAKH, NTA, राज्य बोर्डों और विश्वविद्यालयों को वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सामान्य मानक विकसित करने चाहिए, जबकि विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ अनेक अवसर, सुधार के अवसर, दो-चरणीय अथवा बहु-चरणीय प्रणालियाँ तथा ऑन-डिमांड परीक्षा प्रावधान सुरक्षित एवं प्रमाणित प्रश्न-बैंकों के माध्यम से पायलट आधार पर लागू की जा सकती हैं। इनके साथ हितधारकों से परामर्श और स्वतंत्र मनोमितीय (Psychometric) मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक उद्देश्य होना चाहिए- **‘एक विद्यार्थी, अनेक प्रमाणित मूल्यांकन और एक राष्ट्रीय मेरिट फ्रेमवर्क’**।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का दृढ़ विश्वास है कि एक सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से विकसित राष्ट्रीय प्रश्न बैंक प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं की आधारशिला बनना चाहिए। प्रश्नों का निर्माण देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से अनुभवी और शैक्षणिक रूप से विश्वसनीय विषय-विशेषज्ञों के विविध समूह से किया जाना चाहिए, जिनमें केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों, IITs, NITs, सरकारी महाविद्यालयों तथा अन्य उपयुक्त संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हों और जिनका समय-समय पर रोटेशन किया जाए। प्रत्येक प्रश्न को पाठ्यक्रम, अधिगम परिणाम, दक्षता, संज्ञानात्मक स्तर, कठिनाई स्तर और भाषा से मैप किया जाना चाहिए तथा उसका शैक्षणिक, तकनीकी और मनोमितीय सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रश्न बैंक में प्रत्येक प्रश्न के उपयोग का अभिलेख रखा जाना चाहिए और जहाँ उपयुक्त हो, प्रामाणिक शैक्षणिक या आधिकारिक स्रोतों तक उसकी ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रश्न-निर्माण में अनेक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल तथा मॉडरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न चयन, पाठ्यक्रम कवरेज, कठिनाई संतुलन, दोहराने की पहचान और भाषा विश्लेषण के लिए एआई (AI) का उपयोग सहायक उपकरण के रूप में किया जा सकता है; हालाँकि, अंतिम शैक्षणिक सत्यापन और अनुमोदन योग्य मानव विशेषज्ञों के पास ही रहना चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का मानना है कि प्रश्नपत्र की सुरक्षा प्रश्न-निर्माण और मॉडरेशन से लेकर एन्क्रिप्शन, भंडारण, प्रसारण, मुद्रण, परीक्षा तथा परीक्षा के बाद अभिरक्षा तक पूरे जीवनचक्र को कवर करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति या एजेंसी के पास पूरी गोपनीय प्रक्रिया पर एकतरफा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रश्न-निर्माण, समीक्षा, सत्यापन, अंतिम अनुमोदन और जारी करने के कार्यों को औपचारिक ‘कर्तव्यों के पृथक्करण (Separation of Duties)’ की व्यवस्था के माध्यम से अलग किया जाना चाहिए तथा बहु-व्यक्ति प्रमाणीकरण और आवश्यकता-आधारित पहुँच का प्रावधान होना चाहिए। गोपनीय दायित्व वाले कर्मियों के लिए मजबूत गोपनीयता प्रोटोकॉल, नियंत्रित उपकरण एवं संचार व्यवस्था तथा समय-समय पर रोटेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रसारण के बाद समय-नियंत्रित डिजिटल प्रश्न और अधिकृत केंद्रों पर सुरक्षित मुद्रण को क्रमिक रूप से अपनाया जा सकता है।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का दृढ़ मत है कि NTA तथा अन्य प्रमुख परीक्षा प्राधिकरणों को पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ पेशेवर रूप से प्रबंधित, अकादमिक नेतृत्व वाले और परिचालन रूप से स्वतंत्र संस्थानों के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, शिकायत निवारण और नीति संबंधी कार्यों में पर्याप्त कार्यात्मक पृथक्करण होना चाहिए, ताकि हितों के टकराव को न्यूनतम किया जा सके। संवेदनशील जिम्मेदारियाँ प्रशिक्षित और पेशेवर रूप से सत्यापित कर्मियों द्वारा संभाली जानी चाहिए तथा उनके लिए उपयुक्त कार्यकाल, रोटेशन और कूलिंग-ऑफ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों में पर्याप्त तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और शिकायत-निवारण क्षमता होनी चाहिए। बाहरी परीक्षा एजेंसियों और प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के लिए समय-समय पर प्रदर्शन एवं सुरक्षा समीक्षा, स्वतंत्र ऑडिट, साइबर सुरक्षा मानक, घटना-रिपोर्टिंग की अनिवार्यता और संविदात्मक जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक स्वतंत्र परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण/निदेशालय (Examination Security Authority/Directorate) स्थापित करने की अपनी मांग को दृढ़ता से दोहराती है। इस प्राधिकरण को परीक्षा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी, जोखिम आकलन, सुरक्षा ऑडिट तथा बड़ी घटनाओं के दौरान समन्वय की निगरानी करनी चाहिए। संगठित कदाचार, प्रतिरूपण, साइबर खतरों, असामान्य परीक्षा पैटर्न और अन्य प्रणालीगत जोखिमों की पहचान के लिए एक विशेष परीक्षा-खुफिया एवं धोखाधड़ी-पहचान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। सुरक्षा उपाय जोखिम-आधारित होने चाहिए तथा नियमित एवं आकस्मिक ऑडिट पर आधारित होने चाहिए, साथ ही उच्च-जोखिम वाले केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। ध्यान रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और स्पष्ट जवाबदेही पर होना चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का मानना है कि सरकार को राष्ट्रीय परीक्षा प्रौद्योगिकी संरचना (National Examination Technology Architecture) विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल निगरानी के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सुलभता, लचीलापन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जहाँ संभव हो, कंप्यूटर आधारित परीक्षा को अपनाया जाना चाहिए, जबकि भौगोलिक रूप से कठिन और बुनियादी ढाँचे की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों के लिए सुरक्षित ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहने चाहिए। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, CCTV, सुरक्षित नेटवर्किंग, डिजिटल उपस्थिति, स्कैनिंग और ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन को प्रत्येक परीक्षा की प्रकृति और जोखिम-प्रोफाइल के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। कंप्यूटर एडैप्टिव टेस्टिंग (CAT) को बड़े और प्रमाणित प्रश्न बैंक के आधार पर पायलट स्तर पर शुरू किया जा सकता है, बशर्ते उसका कठोर मनोमितीय, भाषाई, सुलभता, साइबर सुरक्षा के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा इस बात पर जोर देती है कि मूल्यांकन में मानवीय त्रुटि, पक्षपात और अनधिकृत बदलाव की संभावना को न्यूनतम किया जाना चाहिए। जहाँ शैक्षणिक रूप से उपयुक्त हो, वहाँ गुमनाम या स्वचालित मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे सांख्यिकीय गुणवत्ता जाँच और निर्धारित सीमा-स्थितियों वाले मामलों में लक्षित द्वितीय मूल्यांकन का समर्थन प्राप्त हो। जहाँ अनेक सत्र या प्रश्नपत्र के विभिन्न संस्करण उपयोग किए जाते हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन और समानता की प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और पारदर्शी होनी चाहिए तथा इसकी पद्धति पहले से प्रकाशित और स्वतंत्र रूप से ऑडिट की जानी चाहिए। जहाँ लागू हो, उम्मीदवारों को अपने उत्तर, प्रश्नपत्र के संस्करण, उत्तर-कुंजी, अंक और संबंधित नॉर्मलाइजेशन विवरण तक सुरक्षित पहुँच मिलनी चाहिए। संपूर्ण मूल्यांकन और परिणाम-निर्माण प्रक्रिया में छेड़छाड़ रोकने के लिए स्पष्ट डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनाए रखा जाना चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का मानना है कि एक पारदर्शी, समयबद्ध और स्वतंत्र परीक्षा शिकायत-निवारण व्यवस्था स्थापित करने का समय आ गया है। एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल में प्रत्येक शिकायत के लिए विशिष्ट शिकायत संख्या, निर्धारित समय-सीमा, स्थिति की जानकारी, आवेदन तंत्र और बहुभाषी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। एक स्वतंत्र परीक्षा लोकपाल/शिकायत प्राधिकरण (Examination Ombudsman/Grievance Authority) स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि अपीलों का निर्णय केवल उसी संस्था या व्यक्तियों द्वारा न किया जाए जो मूल निर्णय के लिए जिम्मेदार थे। इस व्यवस्था में गलत या अस्पष्ट प्रश्नों, उत्तर-कुंजी, तकनीकी विफलताओं, परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याओं, कदाचार के आरोपों, सुलभता, परिणाम में देरी, पुनर्मूल्यांकन और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाना चाहिए तथा स्वतंत्र और कारणयुक्त निर्णय दिए जाने चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा एक पूर्वानुमेय और विद्यार्थी-केंद्रित परीक्षा प्रणाली पर दृढ़ता से जोर देती है। एक राष्ट्रीय परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से प्रमुख राष्ट्रीय, राज्य, बोर्ड, विश्वविद्यालय और प्रवेश परीक्षाओं का समन्वय किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा तिथियों के टकराव और अत्यधिक संकुचित कार्यक्रम को न्यूनतम किया जा सके। परीक्षा से संबंधित प्रमुख जानकारी पर्याप्त समय पहले घोषित की जानी चाहिए और पूर्व प्रभाव से किए जाने वाले बदलावों से बचना चाहिए। परीक्षा प्रक्रियाओं को प्रभावी समय-सारणी, समयबद्ध मूल्यांकन और शीघ्र परिणाम घोषणा के माध्यम से शैक्षणिक कैलेंडर का अनुरक्षण करना चाहिए। परीक्षा का अनुभव सरल,

सुलभ और सम्मानजनक होना चाहिए तथा अनावश्यक प्रतीक्षा और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को न्यूनतम किया जाना चाहिए। जहाँ उपयुक्त हो, अनेक परीक्षा अवसरों और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दो में सर्वोत्तम (Best-of-Two) या दोनों का औसत (Average-of-Two) जैसे मॉडलों पर विचार किया जा सकता है।

ABRSM की साधारण सभा इस बात पर दृढ़ता से जोर देती है कि सरकार को उपयुक्त सार्वजनिक संस्थानों—जैसे IITs, NITs, AIIMS, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों—का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक परीक्षा केंद्र नेटवर्क विकसित करना चाहिए तथा इसे जिला और जहाँ संभव हो, तहसील स्तर तक विस्तारित किया जाना चाहिए। सभी केंद्रों को सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, सुलभता और प्रशिक्षित कर्मियों के लिए राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना चाहिए। केंद्र उम्मीदवारों के यथासंभव निकट स्थित हों, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए। परीक्षा प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं तथा भारतीय भाषाओं में प्रमाणित परीक्षा सामग्री सहित पूर्ण सुलभता और समावेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, साथ ही परीक्षा की सुरक्षा और उम्मीदवार की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का मानना है कि प्रत्येक प्रमुख परीक्षा के लिए एक परीक्षा जवाबदेही मैट्रिक्स (Examination Accountability Matrix) होना चाहिए, जिसमें जिम्मेदारी, सत्यापन, ऑडिट और जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित हों तथा संपूर्ण डिजिटल ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हो। एक आपदा पुनर्प्राप्ति एवं घटना प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल (Disaster Recovery and Incident Response Protocol) में प्रश्नपत्र लीक, साइबर हमले, प्रणालीगत विफलता, प्राकृतिक आपदा, कदाचार और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के प्रावधान होने चाहिए, जिनमें परीक्षा जारी रखने, स्थगित करने, रद्द करने अथवा पुनः परीक्षा आयोजित करने की स्पष्ट व्यवस्था हो। प्रणाली की विफलता का दंड स्वतः विद्यार्थी को नहीं मिलना चाहिए। प्रश्नपत्र लीक के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए तथा तत्काल नियंत्रण, स्वतंत्र जाँच, जवाबदेही और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रभावित विद्यार्थियों को बिना किसी शैक्षणिक नुकसान के उचित सुधारात्मक अवसर दिए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को अपने परीक्षा डेटा तक उचित पहुँच होनी चाहिए, जबकि गुमनाम समेकित डेटा सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सूचना प्रदाता (Whistle blower), संरक्षण, वार्षिक परीक्षा अखंडता रिपोर्ट और उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया को निरंतर सुधार की व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा का मानना है कि राज्य को आधिकारिक मॉक टेस्ट, प्रश्न बैंक, CBT अभ्यास सुविधाएँ, नमूना प्रश्नपत्र, क्षेत्रीय-भाषा संसाधन, MOOCs और अन्य सभी तक पहुँच वाले शैक्षणिक संसाधनों के माध्यम से निःशुल्क या किफायती सार्वजनिक परीक्षा तैयारी को सुदृढ़ करना चाहिए, जिससे महँगी कोचिंग पर निर्भरता कम हो। कोचिंग क्षेत्र के लिए उपयुक्त नियामक ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें पंजीकरण, विज्ञापन एवं सफलता संबंधी दावों तथा गोपनीय परीक्षा जानकारी के दुरुपयोग को विनियमित किया जाए। कोचिंग संस्थानों, परीक्षा एजेंसियों, अधिकारियों और प्रश्न-निर्माताओं से जुड़े संभावित हितों के टकराव की व्यवस्थित निगरानी की जानी चाहिए।

एबीआरएसएम की साधारण सभा इस बात पर दृढ़ता से जोर देती है कि शिक्षक और शैक्षणिक विशेषज्ञ मूल्यांकन सुधार के संस्थागत भागीदार होने चाहिए तथा उन्हें इसके निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता-आधारित मूल्यांकन, प्रश्न-निर्माण, मनोमिति, डिजिटल मूल्यांकन और एआई (AI) के जिम्मेदार उपयोग के क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। नीति-निर्माण, प्रश्न-निर्माण, मॉडरेशन और स्वतंत्र समीक्षा में विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को केवल चयन की प्रक्रिया के रूप में कार्य करने के बजाय सुधारात्मक शिक्षण और पुनर्मूल्यांकन का माध्यम बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों और अभिभावकों के परामर्श, करियर मार्गदर्शन तथा विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गों के प्रति जागरूकता को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

एबीआरएसएम, एक देशव्यापी शैक्षिक संगठन के रूप में, दृढ़ता से मानता है कि परीक्षा सुधार के साथ-साथ सीमित अवसरों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को कम करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक क्षमता का विकास भी आवश्यक है। चिकित्सा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महाविद्यालयों और सीटों का विस्तार पर्याप्त शिक्षण संकाय, शिक्षण अस्पतालों, क्लिनिकल अनुभव, बुनियादी ढाँचे और नियामक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए। गुणवत्ता-नियंत्रित तरीके से शैक्षणिक क्षमता का विस्तार, संरचनात्मक कमी और एकल बड़े आकार वाली प्रवेश परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकता है।



शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समयबद्ध समाधान

शिक्षा एवं शिक्षकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, जो निर्णय लेने में देरी और नीतिगत स्तर पर अपेक्षित ध्यान के अभाव को दर्शाते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) की साधारण सभा केंद्र एवं राज्य सरकारों से संवेदनशील एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्नलिखित लंबे समय से लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी विलंब के समाधान करने का आग्रह करती है-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने के छः वर्ष पूर्ण होने के उपरांत, इसके क्रियान्वयन की प्रगति, जमीनी वास्तविकताओं, परिणामों तथा सामने आई चुनौतियों का आकलन करने के लिए देशव्यापी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।
2. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के हालिया निर्णय से लाखों शिक्षक एवं उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। महासंघ की दृढ़ मांग है कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त विद्यालयी शिक्षकों की सेवा-शर्तों एवं पदोन्नति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उचित समाधान किया जाए।
3. देशभर में शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर शिक्षकों तथा अन्य सभी रिक्त पदों पर स्थायी एवं नियमित नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए।
4. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का समयबद्ध एवं एकरूपता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा राज्यों द्वारा भी वेतन आयोग की सिफारिशों को समान रूप से लागू किया जाए।
5. सभी शिक्षकों के लिए 1 जनवरी 2004 से पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाना चाहिए।
6. देशभर में सभी स्तरों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु समान रूप से 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए।
7. सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए व्यवस्थित एवं नियमित रूप से प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
8. उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए कैरियर उन्नयन योजना (CAS) के अंतर्गत समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
9. UGC द्वारा जारी 2025 के मसौदा विनियम में ABRSM द्वारा UGC को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के अनुरूप आवश्यक संशोधन किए जाएँ अथवा विनियम को वापस लिया जाए।
10. सेवारत शिक्षकों को Ph.D. पाठ्यक्रम के कोर्सवर्क से छूट प्रदान की जानी चाहिए अथवा कोर्सवर्क के लिए सवेतन अवकाश एवं ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
11. सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ट्रेजरी प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।
12. विद्यालय एवं उच्च शिक्षा के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा उपचार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा इनके प्रभावी एवं उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
13. UGC विनियम 2018 को पूरे देश में एकरूपता के साथ लागू किया जाना चाहिए तथा विनियम में विद्यमान विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए विसंगति निवारण समिति (Anomaly Redressal Committee) की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
14. पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तथा समान प्रकृति की अन्य सेवाओं के सेवा-शर्तों में शिक्षकों के साथ समानता एवं समता बनाए रखी जानी चाहिए।
15. शिक्षकों को मुख्यतः अपनी शैक्षणिक एवं अध्यापन संबंधी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्हें मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) जैसी प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन संबंधी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि उनका समय एवं प्रयास शिक्षण, अधिगम तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हो सके।
16. केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः अपने बजट का 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ-साथ पुस्तकों, भवनों, खेल मैदानों तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जा सके।
17. देशभर में शैक्षिक स्वायत्तता एवं शिक्षकों की गरिमा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा शिक्षा संबंधी निर्णयों में शिक्षकों एवं अकादमिक विशेषज्ञों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अकादमिक एवं शैक्षिक मामलों में अनावश्यक

राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाना चाहिए, ताकि अकादमिक अखंडता, व्यावसायिक स्वायत्तता एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

18. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को व्यावहारिक एवं एकरूप बनाया जाना चाहिए तथा उनके प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
19. शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए एवं निजीकरण का प्रभावी नियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
20. महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यकाल पाँच वर्ष तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे सेवानिवृत्ति की आयु तक बढ़ाया जाना चाहिए।
21. शिक्षण एवं अधिगम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में संतुलित एवं पर्याप्त शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कम-से-कम एक शिक्षक तथा उच्च-प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में लागू UGC विनियमों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत निर्धारित शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा इसकी नियमित निगरानी की जाए।
22. स्ववित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की सुरक्षा एवं हितों को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्तियों, न्यूनतम वेतन एवं सेवा-शर्तों के उचित विनियमन हेतु प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।
23. राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC), चिकित्सा सुविधाओं तथा शोध, शैक्षणिक सम्मेलनों एवं शोध-पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता सहित सेवा संबंधी लाभ, केंद्र सरकार के शिक्षकों के लिए लागू संबंधित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप समान रूप से प्रदान किए जाने चाहिए।
24. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा वर्ष 2025 के प्रारंभ में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए दो-स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। नए ढाँचे का क्रियान्वयन तथा नियमित संस्थागत मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना अभी भी लंबित है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान लंबे समय से मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन एवं पुनः प्रत्यायन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा संस्थागत नियोजन, शैक्षणिक विकास और गुणवत्ता-सुधार संबंधी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद से उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जानी चाहिए, ताकि संस्थानों का लंबित मूल्यांकन समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके और गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे।
25. साधारण सभा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त, सतत एवं सुगम वित्तीय सहायता तंत्र विकसित करने की मांग करती है। इसके अंतर्गत वृहद एवं लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाए तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
26. वर्तमान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं अकादमिक मूल्यांकन की व्यवस्था मुख्यतः पाश्चात्य-केंद्रित मानकों, विशेषकर Scopus आधारित प्रकाशन एवं उद्धरण (Citation) मापदंडों पर अत्यधिक निर्भर है। अतः एक भारत-केंद्रित, पारदर्शी एवं अकादमिक रूप से विश्वसनीय अनुसंधान एवं अकादमिक मूल्यांकन ढाँचा विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। यह मूल्यांकन व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, भाषाओं एवं साहित्य, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, अंतर्विषयी अनुसंधान, क्षेत्र-आधारित अध्ययन, क्षेत्रीय एवं समुदाय-केंद्रित अनुसंधान, पेटेंट, नवाचार, पुस्तकों तथा अन्य विद्वतापूर्ण योगदानों को समुचित एवं समान महत्व प्रदान करने वाली होनी चाहिए।
27. महासंघ मांग करता है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) की स्थापना एवं उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी संस्थागत संरचना में सभी संबंधित हितधारकों का समावेशी एवं व्यापक प्रतिनिधित्व हो। VBSA के अंतर्गत आने वाले चारों वर्टिकल्स को उपयुक्त कार्यात्मक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हों तथा अनुचित हस्तक्षेप से उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा-उपाय सुनिश्चित किए जाएँ। साथ ही, ये सभी वर्टिकल्स VBSA के व्यापक उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा-ढाँचे के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह बने रहें।

